बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

—मेल राक

प्रेषक,

डॉo सीo अशोकवर्धन, प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना-15, दिनांक-

/09/2012

विषय:--

बिहार ख़ास महाल नीति, 2011 के आलोक में लीज़ प्रपत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि बिहार ख़ास महाल नीति, 2011 विभागीय संकल्प संख्या—441 (6)/रा०, दिनांक—07.04.2011 द्वारा आपको भेजा जा चुका है तथा यह सरकारी वेब—साईट http://egazette.bih.nic.in पर उपलब्ध है। बिहार ख़ास महाल नीति, 2011 के नियम—22 के आलोक में दिनांक—07.04.2011 एवं उसके बाद होने वाले सभी लीज़ इकरारनामा को संशोधित प्रपन्न में ही कराया जाना है। तदनुसार लीज़धारियों के साथ किए जाने वाले लीज़ इकरारनामा से सम्बन्धित General Form of Lease for Town Khasmahal के प्रपन्न में अपेक्षित संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। सरकार द्वारा विचारोपरान्त General Form of Lease for Town Khasmahal में अपेक्षित संशोधन कर दिया गया है। यथा—संशोधित लीज़ प्रपन्न संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न संशोधित लीज प्रपत्र में ही खास महाल/सरकारी भूमि से सम्बन्धित सभी लीज इक्रारनामा निष्पादित किया जाय। अनु0:—यथोक्त।

> विश्वासभाजन, ह0 / –

(सी० अशोकवर्धन) प्रधान सचिव

<u>ई</u>—मेल डाक

ਵ0/-

ह0 / – (सी0 अशोकवर्धन) प्रधान सचिव

ज्ञापांक—6/खा० म० पटना (नीति)—03/2011— (6)/रा०,पटना—15, दिनांक— /09/2012 प्रतिलिपि—सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को संशोधित लीज़ प्रपत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

₹0/-

ਵ0/-

(सी0 अशोकवर्धन) प्रधान सचिव

ज्ञापांक—6/खा० म० पटना (नीति)—03/2011— (6)/रा०,पटना—15, दिनांक— /09/2012 प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के आप्त सचिव को संशोधित लीज प्रपत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ਵ0/-

ह0 / — (सी0 अशोकवर्धन) प्रधान सचिव

ज्ञापांक—6/खा० म० पटना (नीति)—03/2011—893 (6)/रा०,पटना—15, दिनांक— 11/09/2012 प्रतिलिपि—आई. टी. प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संशोधित लीज़ प्रपत्र की प्रति के साथ विभागीय वेब—साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सीo अशोकवर्धन) प्रधान सचिव

General form of Lease for Town Khasmahals

This Indenture made the day of between the Governor of						
Bihar (hereinafter called the lessor which expression shall, where the context so admits						
or implies, include his successors in office and assigns) of the one part and						
B(hereinafter called the lessee						
which expression shall, where the context so admits or implies include his heirs,						
executors, administrators, representatives and assigns) of the other part.						
Whereas the lessee has applied for permission to occupy for the purposes * (Here						
state succinctly the object of the tenancy, the lands and premises specified in the first						

In witness whereof the said parties have hereunto set their hands and seal on the day and year first above written.

Signed by-Collector for and on behalf of the Governor of Bihar, in the presence of Signed by-Lessee in the presence of

The Schedule, above referred to

Part-I - Specification of the holding with the trees thereon.

Name of block.

Number of plot.

Situation of plot.

Boundaries of plot.

Area of plot.

Amount of rent assessed.

Number of trees of each kind.

Part II - Terms and Conditions

	1.	The	lessee	shall	pay	to	the	Collector	the	said	rent	of	Rs
	• • • • • • •							W	ithout	any	deducti	on ir	the
follo	wing	install	lments :-		75 75								

(Note. - When the total rent is below Rs. 5 it should be paid in one installment on or before the 15th January.)

2. Except with the previous sanction of the Collector in writing and on payment of a fee as fixed by the Divisional Commissioner, the lessee shall not transfer, assign, sublet or part with the possession of the said demised land and premises or any part thereof.

(Note 1.- In the case of succession by inheritance no fee as aforesaid shall be payable, the person succeeding shall apply forthwith to the Collector, for mutation of names and such application shall bear the court-fee stamp prescribed by law.)